P-1 R.M.M. Law College - Saharsa
Manvendra Mandal | Subject-Hindu Marriage Act
Parttime Lecturer | Part-II

परिभाषाएँ (Definitions) धारा-3

(क) "रूढ़ि" और "प्रथा" शब्द ऐसे किसी भी नियम का संज्ञान कराते हैं जिसने दीर्घ काल तक निरन्तर और एकरूपता से अनुपालित किये जाने के कारण किसी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति समुदाय, समूह या कुटुम्ब के हिन्दुओं में विधि का बल अभिप्राप्त कर लिया हो।
परन्तु यह तब जब कि वह नियम निश्चित हो और अयुक्तियुक्त या लोकनीति के विरुद्ध न हो तथा ऐसे नियम की दशा में जो एक कुटुम्ब को ही लागू हो, उसकी निरन्तरता उस कुटुम्ब द्वारा बन्द न कर दी गई हो।

(ख) "जिला न्यायालय" से अभिप्रेत है ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसके कोई नगर सिविल न्यायालय हो, वह न्यायालय और अन्य किसी क्षेत्र में आरम्भिक अधिकारिता का प्रधान सिविल न्यायालय तथा इसके अन्तर्गत ऐसा कोई भी अन्य सिविल न्यायालय आता है जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम में व्यवहृत बातों के बारे में अधिकारिता युक्त विनिर्दिष्ट कर दे।

(ग) "पूर्णरक्त" और "अर्धरक्त" → कोई भी दो व्यक्ति एक-दूसरे से पूर्ण रक्त से सम्बन्धित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से एक ही पत्नी द्वारा अवजनित हो, और अर्धरक्त से तब जब कि वह एक ही पूर्वज से किन्तु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हों।

(घ) "एकोदर रक्त" → दो व्यक्ति एक दूसरे से एकोदर रक्त से सम्बन्धित तब कहे जाते हैं जबकि वे एक ही पूर्वज से किन्तु भिन्न पत्नियों द्वारा अवजनित हों।

(ङ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित।

(च) (i) "सपिण्ड नातेदारी" → जब निर्देश किसी व्यक्ति के प्रति हो तो, माता के माध्यम से उसकी उपरली ओर की परम्परा में तीसरी पीढ़ी तक जाती है और पिता के

P-2 परिभाषाएँ (Definitions)

माध्यम से उसकी उपरली ओर की परम्परा में पाँचवी पीढ़ी तक जाती है, हर एक दशा में वंश परम्परा सम्पृक्त व्यक्ति से, जिसे पहली पीढ़ी का गिना जायगा, उपर की ओर चलेगी।

(ii) दो व्यक्ति एक दूसरे के "सपिण्ड" तब कहे जाते हैं जबकि या तो एक उनमें से दूसरे का सपिण्ड नातेदारी की सीमाओं के भीतर पूर्व-पुरुष हो या जबकि उनका ऐसा कोई एक ही पारम्परिक पूर्व-पुरुष हो, उनमें से जिस किसी के भी प्रति हो, उससे सपिण्ड नातेदारी की सीमाओं के भीतर हो।

(ङ) "प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियां" — दो व्यक्ति प्रतिषिद्ध नातेदारी की डिग्रियों के भीतर कहे जाते हैं—

(i) यदि एक उनमें से दूसरे का पारम्परिक पूर्व-पुरुष हो, या

(ii) यदि एक उनमें से दूसरे के पूर्व-पुरुष या वंशज की पत्नी या पति रही हो, या

(iii) यदि एक उनमें से दूसरे के भाई की या पिता अथवा माता के भाई की, या पितामह अथवा पितामही के भाई की या मातामह अथवा मातामही के भाई की पत्नी रही हो, या

(iv) यदि वे भाई और बहिन, ताया, चाचा और भतीजी, मामा और भाँजी, फूफी और भतीजा, मौसी और भांजा या भाई-बहिन के अपत्य, भाई-भाई के अपत्य अथवा बहिन-बहिन हो

स्पष्टीकरण- खण्ड (ग) और (ङ) के प्रयोजनों के लिए "नातेदारी" के अन्तर्गत आती है—

(i) पूर्ण रक्त की नातेदारी, तथैव अर्ध या एकोदर रक्त की नातेदारी

(ii) व्यभिज रक्त की नातेदारी तथैव अव्यभिज रक्त की नातेदारी

(iii) रक्तजन्य नातेदारी, तथैव दत्तक नातेदारी

और उन खण्डों में नातेदारी सम्बन्धी सभी पदों का अर्थ तदनुसार लगाया जायगा।

Scanned with CamScanner